पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बीज विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाईः 05 के लाइसेंस निरस्त, 05 की बिक्री प्रतिबंधित तथा 188 को कारण बताओ नोटिस जारी

रबी फसलों की बुआई हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में 2,858 स्थानों पर की गई आकस्मिक छापेमारी

अधोमानक बीज व अनियमितता के विरुद्ध अभियान के तहत 1,865 नमूने संग्रहीत तथा 26 विक्रेताओं को चेतावनी निर्गत

लखनऊ : 16 नवम्बर, 2026

प्रदेश में रबी फसलों की बुआई के दृष्टिगत नकली एवं अधोमानक बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए राज्यव्यापी आकस्मिक निरीक्षण अभियान के तहत बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। अनियमितता पाए जाने पर 05 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं, 05 प्रतिष्ठानों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है तथा 188 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2026 को प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को बीज विक्रेताओं की दुकानों एवं बीज व्यवसाय के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में सघन जांच अभियान संचालित किया गया।

निरीक्षण अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुल 2,858 स्थानों पर छापे डाले गए, जिनमें गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीजों के 1,865 नमूने लिए गए। कड़ी कार्रवाई के क्रम में 05 लाइसेंस निरस्त करने, 05 की बिक्री प्रतिबंधित करने और 188 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ–साथ 26 लोगों को चेतावनी भी निर्गत की गई है। शासन की मंशा के अनुरूप किसानों के हितों की रक्षा के लिए गुणवत्ताहीन बीजों के विरुद्ध यह सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सम्पर्क सूत्र– डा0 मनोज चन्द्रा

राघवेन्द्र / 03:50 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in